भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1123

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

विवाद से विश्वास-।। योजना

1123. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

एडवोकेट अदूर प्रकाश:

श्री एंटो एन्टोनी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल हाईवे बिल्डर्स फेडरेशन के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के दौरान 'विवाद से विश्वास-।।' योजना की वर्तमान स्थिति और कार्यान्वयन के संबंध में अद्यतन स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि तक प्राप्त और संसाधित किए गए दावों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने पात्र दावों का निपटान किया गया है और सभी पात्र दावों को अभियान के आधार पर कब तक निपटाने का लक्ष्य रखा गया है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विवाद से विश्वास-II योजना के कार्यान्वयन तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक प्रचालन प्रक्रिया के संदर्भ में नवीनतम स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवाद से विश्वास-II आवेदनों का विवरण	संख्या
1.	05.02.2024 तक प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	120
2.	अस्वीकार किए गए आवेदनों की संख्या	07
3(क)	स्वीकृत और निपटान के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदनों की संख्या	56
(ख)	स्वीकृत आवेदनों और दिए गए प्रस्तावों की तुलना में ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	43

विवाद से विश्वास-II योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है, जो मध्यस्थता अधिनिर्णय की 31.01.2023 और न्यायालय के आदेश की 30.04.2023 की कट-ऑफ तिथियों के संदर्भ में है। मंत्रालय ने विस्तारित कट-ऑफ तिथियों अर्थात्, मध्यस्थता अधिनिर्णय के लिए 30.09.2023 और न्यायालय के आदेश के लिए 31.12.2023 के साथ अपनी अलग विवाद से विश्वास-II योजना को भी अधिसूचित किया है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है।

*****